वाद सम्बित है। इस वजह से अपील की कार्यवाही ता० फैसला वादपत्र स्थगित रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही नाम हित में तहसीलदार करौली को इस आशय के आदेश भी दिया जाना उचित समझता हूँ कि अपीलाधीन नामान्तरकरण से सम्बन्धित आराजीयात ख० नं० 5700 व 5701 कुल किता 2 रकबा 2 बी० 7 वि० वाके कस्बा करौली का हस्तान्तरण जरिये बयनामा या दीगर हस्तान्तरण विलेख पंजीबद्ध नहीं करें। ताकि रेस्पोंडेन्ट अपने नाम के इन्द्राजात का अनुचित लाभ न ले सके। अपील की कार्यवाही दावे के निर्णय होने तक स्थगित रखी जाती है। तहसीलदार को इस आशय की तहरीर जारी हो।

30/7/99

5/6/17 पक्षगण व विद्वान अधिवक्ता के सम्बन्धित मामले का फैसला होने तक दिनांक 30/7/99 से स्टे में चल रहा है। आज तक न तो अपीलकर्ता उपस्थित आये और न ही उनके वकील उपस्थित आये। नहीं पत्र व्यवहार किये का क्या हुआ, अतः अपील अधिवक्ता के स्तर पर खारिज की जाती है। पक्षकारों के फैसला सुनाए जाने तक नामान्तरण के कार्य को स्थगित रखा है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करौली